# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.
पत्रावली संख्या : 107/21 ( विविध प्रार्थना पत्र )
जीसीएमएस नम्बर : 2021/487

1. श्री प्रताप उर्फ किशना पिता भगवान गाडरी निवासी वासनीखुर्द तहसील मावली।

.....प्रार्थी

## बनाम

1. श्री देवीलाल पिता कसना गुर्जर निवासी बलीचा, उदयपुर।
2. श्री नानालाल पिता कसना गुर्जर निवासी बलीचा, उदयपुर।

2/1 श्री भगवानलाल पिता नानालाल गुर्जर निवासी यूपीओ बैंक के सामने बलीचा बायपास उदयपुर।

2/2 श्रीमती बेनकापुत्री नानालाल पत्नी प्रभुलाल गगुर्जर निवासी यूपीओ बैंक के सामने बलीचा बायपास उदयपुर।

2/3 श्रीमती राजुबाई पत्नी नानालाल गुर्जर निवासी यूपीओ बैंक के सामने बलीचा बायपास उदयपुर।

3. श्री भगवान पिता केला गाडरी निवासी वासनीखुर्द तहसील मावली।
4. श्री प्रभु पिता मोहन गाडरी निवासी वासनीखुर्द तहसील मावली।
5. श्री बालु पिता मोहन गाडरी निवासी वासनीखुर्द तहसील मावली।
6. श्री गोपीलाल पिता दयाराम गाडरी निवासी वासनीखुर्द तहसील मावली।
7. श्री जयराम पिता दयाराम गाडरी निवासी वासनीखुर्द तहसील मावली।
8. श्री माधुलाल पिता दयाराम गाडरी निवासी वासनीखुर्द तहसील मावली।
9. श्रीमती डाली पुत्री मोती पत्नी लेहरू गाडरी निवासी खटूकडा तहसील रेलमगरा।
10. श्री तुलसीराम पिता उदा गाडरी निवासी वासनीखुर्द तहसील मावली।
11. श्री बालुराम पिता दोला गाडरी निवासी वासनीखुर्द तहसील मावली।
12. श्रीमती भगवतीबाई पत्नी दोला गाडरी निवासी वासनीखुर्द तहसील मावली।
13. श्री भेरूलाल पिता उदा गाडरी निवासी वासनीखुर्द तहसील मावली।
14. श्रीमती सायरी पुत्री मोती पत्नी छगन गाडरी निवासी भूमलावास की खेडी तहसील मावली।
15. श्री भगवानलाल पिता मांगीलाल गाडरी निवासी वासनीखुर्द तहसील मावली।
16. श्रीमती हीराबाई पत्नी मांगीलाल गाडरी निवासी वासनीखुर्द तहसील मावली।
17. श्रीमती बदामीबाई पुत्री मांगीलाल पत्नी देवीलाल गाडरी निवासी फलीचडा खेडी तहसील मावली।
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री सम्पत सामोता, अधिव. प्रार्थी।
2. श्री देवराज डांगी, अधिव. विपक्षी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:34:22 IST
Reason: SelfAttested

# प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

## निर्णय

**दिनांक : 24.02.2025**

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा वासनीखुर्द पटवार हल्का वासनीकलां तहसील मावली की आराजी नम्बर 1512, 1513 किता 2 कुल रकबा 0.7770 हेक्टेयर कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के स्वतन्त्र रूप से खातेदारी हक से अंकित हैं।
2. यह कि मुझ प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजीयात के पडौस निम्न प्रकार है :–

   पूर्व – विपक्षी संख्या 1, 2 की संयुक्त खातेदारी की आराजी नम्बर 1502 की कृषि भूमि।

   पश्चिम – विपक्षी संख्या 3 की खातेदारी की आराजी नम्बर 1518, 1519, 1520 की कृषि भूमियां।

   उत्तर – विपक्षी संख्या 4, 5 एवं खातेदार मोतीबाई पत्नी मोहन गाडरी की संयुक्त खातेदारी की आराजी नम्बर 1511 की कृषि भूमि। खातेदार मोतीबाई पत्नी मोहन गाडरी का निधन हो चुका है जिसके वारिस विपक्षी संख्या 4 व 5 हैं।

   दक्षिण – विपक्षी संख्या 6 से 14, खातेदार खेमीबाई पत्नी दयाराम गाडरी, मु. लाली पत्नी मोती गाडरी, मांगीलाल पिता मोती गाडरी की संयुक्त खातेदारी की आराजी नम्बर 1514 व 1517 की कृषि भूमि। खातेदार खेमीबाई पत्नी दयाराम गाडरी, मु. लाली पत्नी मोती गाडरी, मांगीलाल पिता मोती गाडरी का निधन हो चुका हैं। खातेदार खेमीबाई पत्नी दयाराम गाडरी के वारिस विपक्षी संख्या 6 से 8 हैं। मु. लाली पत्नी मोती गाडरी के वारिस विपक्षी संख्या 14 से 16 हैं। मांगीलाल पिता मोती गाडरी के वारिस विपक्षी संख्या 15 से 17 हैं।
3. यह कि मुझ प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि भूमि के चारो दिशाओं की सीमा पर वर्तमान में कांटो की बाड ही की हुई है जिससे मेरी जमीन के आसपास घुमने वाले आवारा मवेशी मेरी जमीन में घुस जाते है और फसलो को नष्ट कर नुकसान पहूंचाते है एवं पडौसी खातेदारान विपक्षी संख्या 1 से 17 से भी सीमा को लेकर हर समय विवाद होने की सम्भावनाए बनी रहती है। इसलिए मैं प्रार्थी अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए उक्त वर्णित कृषि भूमि के चारो तरफ पक्की बाण्ड्रीवाल का निर्माण कराना चाहता हूं। इसलिए मुझ प्रार्थी को मेरी कृषि भूमि को चारो तरफ पक्की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराना चाहता हूं। इसलिए मुझ प्रार्थी को मेरी कृषि भूमि की चारो दिशाओं की सीमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:34:22 IST
Reason: SelfAttested

की पत्थरगढी करा सीमाकंन कराना आवश्यक है ताकि भविष्य में मेरी भूमि की सीमा को लेकर विपक्षीगण से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हो।

4. यह कि मेरी उक्त वर्णित कृषि भूमि के चारो दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी होने से मैं प्रार्थी अपनी जमीन की सही सीमा पर पक्की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करा सकूंगा तथा बाउण्ड्रीवाल हो जाने से मेरी जमीन सुरक्षित रहेगी और उक्त वर्णित जमीन में प्रतिवर्ष बोई जाने वाली फसले भी आवारा मवेशीयो से महफुज रहेगी और आवारा मवेशी मेरी जमीन में घुसकर फसलो को बर्बाद नहीं कर सकेगे और पडौसी सहखातेदारान विपक्षी संख्या 1 से 17 के साथ भी सीमा को लेकर कोई व्यर्थ का विवाद नहीं होगा। इसलिए मेरी उक्त कृषि भूमि की चारो दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कराना जरूरी हो गया है।

5. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 29.09.2021 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1, 2 ने मेरी कृषि भूमि की पूर्वी दिशा की सीमा को लेकर विवाद किया और समझाने पर भी नहीं माने और लडाई झगडा करने पर आमादा हुए। तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

6. अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय का आदेश फरमाया जावे कि मौजा वासनीखुर्द पटवार हल्का वासनीकलां तहसील मावली में मुझ प्रार्थी की स्वतन्त्र खातेदारी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 1512 एवं 1513 की चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कराई जाकर सीमाकंन कराया जावे तथा मुझ प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि पर विपक्षी संख्या 1 से 17 का अवैध कब्जा एवं निर्माण पाया जावे तो मेरी कृषि भूमि से विपक्षी संख्या 1 से 17 के खर्चें से इनका अवैध कब्जा एवं निर्माण हटवाया जाकर मेरी कृषि भूमि का कब्जा मुझ प्रार्थी को सुपुर्द किये जाने हेतु आदेशित किया जावें।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 2/1 से 2/3, 9 के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं चाहने से इनके विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की गई। विपक्षी संख्या 1 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया। विपक्षी संख्या 3 से 8, 10 से 17 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

8. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा वासनी खुर्द पटवार हल्का वासनीकला तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या [illegible] दर्ज आराजी नम्बर 1512, 1513 किता 2 कुल रकबा 0.7770 [illegible] भूमि का [illegible] तन्हा खातेदार काश्तकार होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2025.04.22 17:34:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगड़ी करवाना चाहता है। चुंकि प्रार्थी उक्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, ऐसे में अपनी खातेदारी की भूमि का पत्थरगड़ी करवाने का प्रार्थी को पूर्ण अधिकार है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

9. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/—रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा वासनी खुर्द पटवार हल्का वासनीकला तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 152 पर दर्ज आराजी नम्बर 1512, 1513 किता 2 कुल रकबा 0.7770 हेक्टेयर भूमि के चारों दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थी एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जावे। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।
10. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
11. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

( रमेश सीरवी पुनाडिया ) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:34:22 IST
Reason: SelfAttested